झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम् सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, वृहस्पतिवार, दिनांक 15 अग्रहायन, 1934 (श0) / 06 दिसम्बर, 2012 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

मांक	विभागों को भेजी गई सं0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	02.	03.	04.	05.	06.
7.	अ0सू0-20	श्री बन्ना गुप्ता	आँगनबाड़ी भवनों का निर्माण ।	समाज कल्याण	30/11/12
8.	अ0सू0-07	श्रीमती सीता सोरेन	चिकित्सा कर्मी एवं दवा की व्यवस्था ।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0कल्याण	28/11/12
9.	अ0सू0-15	श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता	डैम का जीर्णोद्धार ।	जल संसाधन	29/11/12
70.	अ0सू0-02	श्री अरूण मण्डल	जनगणना 2011 के अनुरूप राशन कार्ड।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	26/11/12
71.	अ0सू0-10	श्री जनार्दन पासवान	किसानों को मुआवजा।	कृ0 एवं गन्ना विकास	28/11/12
72.	अ0सू0-04	श्रीमती गीताश्री उराँव	रेफरल अस्पताल में समुचित व्यवस्था ।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0कल्याण	28/11/12
73.	अ0सू0-25	श्री दीपक बिरूआ	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई ।	आदिवासी कल्याण	30/11/12
74.	अ0सू0-13	श्री चन्द्रिका महथा	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	समाज कल्याण	29/11/12
75.	अ0सू0-34	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 कार्डधारियों को खाद्य सामग्री किरासन की आपूर्ति ।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	30/11/12

कृ0पृ0उ0

76.	अ0सू0-12	श्री अमित कु0 यादव	एँटी रेबीज भैक्सीन उपलब्ध कराना ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	28/11/12
77.	अ0सू0-35	श्री रामदास सोरेन	बकाया राशि की वसूली ।	सहकारिता	30/11/12
78.	अ0सू0-21	श्री साईमन मराण्डी	डॉक्टर एवं दवा उपलब्ध कराना ।	स्वा0चि0शि0	30/11/12
79.	अ0सू0-31	श्री प्रदीप यादव	बाजार शुल्क नहीं लेने पर पुनर्विचार ।	कृ0 एवं गन्ना विकास	30/11/12
80.	अ0सू0-19	श्री बन्ना गुप्ता	आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति ।	ऊर्जा विभाग	30/11/12
81.	अ0सू0-33	श्री विदेश सिंह	क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मती ।	जल संसाधन	30/11/12
82.	अ0सू0-22	श्री साईमन मराण्डी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	ऊर्जा विभाग	30/11/12
83.	अ0सू0-06	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	विद्युत संयोजन ऊर्जान्वयन।	ऊर्जा	28/11/12
84.	अ0सू0-30	श्री दुलू महतो	मासिक मानदेय का भुगतान ।	कृषि एवं गन्ना विकास	30/11/12
85.	अ0सू0-14	श्री चन्द्रिका महथा	नया ट्रांसफार्मर लगाना।	ऊर्जा	29/11/12
86.	अ0सू0-11	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	जल संसाधन	28/11/12
87.	अ0सू0-01	श्री बन्धु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	कृषि एवं गन्ना	26/11/12
88.	अ0सू0-23	श्री मिस्त्री सोरेन	आदिवासी छात्रावास का निर्माण ।	आदिवासी कल्याण	30/11/12
89.	अ0सू0-27	श्री अरविन्द कु0 सिंह	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण ।	ऊर्जा विभाग	30/11/12
90.	अ0सू0-26	श्री समरेश सिंह	गाँवों का विद्युतीकरण ।	ऊर्जा विभाग	30/11/12
91.	अ0सू0-36	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	चिकित्सा कर्मियों को नियमित करना ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	01/12/12
92.	अ0सू0-16	श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता	भवन निर्माण कार्य की जाँच ।	समाज कल्याण	29/11/12
93.	अ0सू0-17	श्री कमल किशोर भगत	वृहद शीतगृह की स्थापना ।	कृ0 एवं गन्ना विकास	29/11/12
94.	अ0सू0-03	श्रीमती कुन्ती देवी	सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	28/11/12
95.	अ0सू0-05	श्री संजय कु0 सिंह यादव	गोदाम का निर्माण ।	खा0सा0वि0 उपभोक्ता मामले	29/11/12
96.	अ0सू0-32	श्री विदेश सिंह	स्वा0 केन्द्र भवन आवास निर्माण ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	30/11/12
97.	अ0सू0-24	श्री सत्येन्द्र नाथ	सरना स्थल ~~अहस नहर~~	आदिवासी	30/11/12

98.	अ0सू0-29	श्री संजय प्र0 यादव	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण ।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मा0मा0	30/11/12
99.	अ0सू0-09	श्री विष्णु प्र0 भैया	दूध फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना ।	कृषि एवं गन्ना विकास	28/11/12
100.	अ0सू0-08	श्री दुलू महतो	ग्रामीण दर से बिजली बिल लिया जाना ।	उर्जा विभाग	28/11/12
101.	अ0सू0-28	श्री संजय प्र0 यादव	स्वास्थ्य केन्द्र का रेफरल अस्पताल में उत्क्रमण ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	30/11/12
102.	अ0सू0-18	श्री हरिकृष्ण सिंह	विद्युत फीडर का निर्माण।	उर्जा	29/11/12

राँची

दिनांक- 06 दिसम्बर, 2012 {ई0}

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान- सभा, राँची ।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न वर्ग-04 3507 /वि0स0, राँची, दिनांक- 03/12/12

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/12/2012

{रविशंकर पाण्डेय}
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न वर्ग-04- 3507 /वि0स0, राँची, दिनांक- 03/12/12

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय/उप सचिव {प्रश्न} झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।

3/12/2012

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

3507
03/12

JMT/

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं० – 20 का

प्रश्नोत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 53,97,26,400 रुपये जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना और इतनी ही राशि अन्य क्षेत्रीय उप योजना के अन्तर्गत जारी की गयी है	उत्तर स्वीकारात्मक है। इस संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश एंव आवंटनादेश सं–138 एवं 139 दिनांक– 01.12.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 53,97,26,400 रुपये जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना और इतनी ही राशि अन्य क्षेत्रीय उप योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को आवंटित की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर प्रति ईकाई 5 लाख 32 हजार 800 रुपये खर्च किए जाने के और पूर्वी सिंहभूम में 110 अगंनबाड़ी भवनों का निर्माण होना है	उत्तर स्वीकारात्मक है। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रति इकाई 5 लाख 32 हजार 800 रुपये का प्राक्कलन निर्धारित की गयी है। इस प्राक्कलन के आधार पर पूर्वी सिंहभूम में 110 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
3	उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अ0सु0 प्र0 – 361/2012– 1995 राँची, दिनांक 04.12.2012

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3486 वि० स० दिनांक – 30.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

(कंचन अंजली मुण्डू)
सरकार के उप सचिव

(68)

श्रीमती सीता सोरेन, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–07 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती सीता सोरेन, स० वि० स० सं0	उत्तरदाता– श्री हेमलाल मुर्मू मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिले के रामगढ तथा जामा प्रखण्ड में स्थानीय जनता के स्वास्थ्य सेवा के लिए रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया गया है।	अस्वीकारात्मक। रामगढ में रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया गया था जो पूर्णतः जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिसमें अस्पताल चलाने की स्थिति नहीं है। जामा प्रखण्ड में रेफरल अस्पताल नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि रेफरल अस्पताल के अनुरूप चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी पदस्थापित नहीं है तथा दवाओं की भी भारी मात्रा में कमी है, जिससे स्थानीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।	अंशिक रूप से स्वीकारात्मक। रेफरल अस्पताल, रामगढ़ का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ में होता है। दवा उपलब्ध है। चिकित्सक एवं कर्मी रेफरल अस्पताल के अनुरूप पदस्थापित नहीं है परन्तु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अस्पताल के अनुरूप चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं आवश्यक दवा की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–46/12 672(3) राँची, दिनांक–5/12/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 3351 दिनांक 28.11.12 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/2012

सरकार के उप सचिव

(69)

माननीय स०वि०स०, श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता द्वारा दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के प्रखण्ड ईटखोरी में बक्शा और प्रखण्ड मयूरहंड में अंजनवा डैम है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के अन्तर्गत उक्त दोनों डैम ही सिंचाई का एकमात्र साधन है, जो जर्जर अवस्था में है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अंजनवा जलाशय योजना योजना से वर्ष 2012 में आंशिक रूप से सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त दोनों डैमों के जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बक्शा जलाशय योजना एवं अंजनवा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु DPR तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–44/2012– 3937 **राँची, दिनांक** 5/12/12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक–3428 दिनांक 29.11.2012 के क्रम में 200– प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी– 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

05/12/12

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

C:\sam\Node 5\vidhan Sabha\Dec 12\hazaribagh\AS-15_06.12.12.doc

70

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०– 02 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अरूण मंडल,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में जनगणना 1991 के अनुरूप जन वितरण प्रणाली तदनुरूप खाद्यान्न, किरासन तेल का आवंटन दिया जा रहा है, जबकि जनगणना 1991 की तुलना में वर्ष 2012 मे जनगणना में काफी वृद्धि हुई है।	(1) भारत सरकार द्वारा राज्य को 2001 की जनगणना में पाये गये हाउसहोल्ड की संख्या, जो 47,99,081 थी, के आधार पर किरासन तेल का आवंटन दिया जाता है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा साहेबगंज जिला में वर्ष 2001 की जनगणना में चिन्हित 1,73,104 हाउसहोल्ड की संख्या के लिए किरासन तेल का आवंटन दिया जाता है। विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण योजनाएँ जनगणना के आधार पर नहीं लागू की जाती हैं, बल्कि ये योजनाएँ भारत सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित परिवारों की संख्या एवं राज्य में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर लागू की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के 23.94 लाख बी०पी०एल० परिवारों एवं 19,62,000 ए०पी०एल० परिवारों के लिए ही खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, द्वारा वर्ष 2010 में ग्रामीण क्षेत्रों में बी०पी0एल० परिवारों का पुर्नसर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा उक्त लक्षित परिवारों के अतिरिक्त 11,44,860 अतिरिक्त बी०पी0एल० परिवारों को भी खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि जिला में जनगणना 2011 अनुरूप राशन कार्ड अभी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है।	(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य में सभी परिवारों को नये राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011–12 के दौरान विशेष अभियान चला कर आवेदन प्राप्त किये गये हैं। इन आवेदनों का अंकीकरण (Digitization) किया जा रहा है एवं नये राशन कार्ड, जो बारकोडेड एवं फोटोयुक्त हैं, का वितरण शीघ्र किया जायेगा।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला में जनगणना 2011 के अनुरूप राशन कार्ड, तदनुरूप खाद्यान्न एवं किरासन तेल का आवंटन उपलब्ध करा कर आपूर्ति करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	(3) उपरोक्त उत्तर (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ज्ञापांक :– प्र0–1/वि0स0/90/2012 3743 /राँची, दिनांक 4.12.2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 3282, वि0स0, दिनांक 26.11.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D:\Drive - F\vikash kumar 2012-13\Bidhan Sabha 2012-13\New Microsoft Word Document.doc11

श्री जनार्दन पासवान, माननीय सदस्य, झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.12 को झारखंड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-10 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
क्र. सं.	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में बीज उत्पादन केन्द्रों के द्वारा मानक के अनुरूप किसानों को बीज नहीं देने के कारण धान के बीज में बाली नहीं निकल पाई?	अस्वीकारात्मक है। बीज उत्पादन केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज मानक था। मानसून विलम्ब से आने के कारण धान की रोपाई विलम्ब से की गई। तापमान में अचानक कमी आने से बाली आने में कठिनाई हुआ।
2	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के ग्राम बधार, गुरिया, सिदकी, विरमातकुम, खढ़ा सभी प्रतापपुर प्रखण्ड के किसानों का धान की फसल बर्वाद हो गई है?	जिले के प्रतापपुर प्रखण्ड, ग्राम-बधार, विरमातकुम, सिदकी, गुरिया, खढ़ा आदि गाँवों में धान के बाली आने के बाद क्लाईडिंग कट वर्म कीट का प्रकोप हुआ था।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच कराकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	फसल जाँच कटनी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत क्षति का आकलन होने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई होगा।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक :1/कृ0राज0वि0सभा-92/2012....... 3502 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 3480वि0स0 दिनांक-30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :1/कृ0राज0वि0सभा-92/2012....... 3502 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखंड, रांची/विभागीय माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

(72)

श्रीमती गीताश्री उराँव, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–04 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती गीताश्री उराँव, स० वि० स० सं0	उत्तरदाता– श्री हेमलाल मुर्मू मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के सिसई प्रखण्ड तथा बसिया प्रखण्ड के रेफरल अस्पताल में पूर्व से ही चिकित्सकों तथा दवाईयों की कमी रही है।	अस्वीकारात्मक। रेफरल अस्पताल, सिसई में वर्तमान में एक इमोक प्रशिक्षित महिला चिकित्सा पदाधिकारी, एक सर्जन एवं एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। इसके साथ एक LSAS प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है। रेफरल अस्पताल बसिया में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं (अनुबंध पर) एक दन्त चिकित्सक पदस्थापित है। साथ ही एक इमोक प्रशिक्षित महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं LSAS प्रशिक्षित एक चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पतालों में फिजिशियन, शिशु रोग विशेष, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। स्थिति उपर स्पष्ट कर दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि बसिया रेफरल अस्पताल में रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है।	विभागीय पत्रांक–34 (7) ब दिनांक–09.06.12 द्वारा रेफरल अस्पताल बसिया में मरीजो के भोजन हेतु 20,000/–रू0 आवंटित किया गया है। सिविल सर्जन, गुमला को निदेश दिया गया है कि मरीजो को उपलब्ध आवंटन से भोजन उपलब्ध कराया जाय।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सिसई रेफरल अस्पताल तथा बसिया रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, रोगियों के लिए दवाईयों तथा भोजन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हॉं, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–47/12 673(3) राँची, दिनांक– 5/12/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 3353 दिनांक 28.11.12 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/2012

सरकार के उप सचिव

(73)

श्री दीपक बिरूआ, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–25 दिनांक–6.12.12 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, आदिवासी कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी मंत्रालय ने ऑन ग्राउन्ड सर्वे के अनुसार कई ऐसे एन0जी0ओ0 को फंड मुहैया कराया गया है जो अर्हत्ताएँ/योग्यता पूरा नहीं करती है;	भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मंत्रालय के निर्देशों के पालन में राज्य सरकार के अधिकारियों और एन0जी0ओ0 की मिली–भगत से कार्यों के क्रियान्वयन में जान–बुझकर विलम्ब किया जाता है;	एन0जी0ओ0 के आवेदन पर जिला से जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत राशि केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित एन0जी0ओ0 को सीधे उपलब्ध कराया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से एन0जी0ओ0 को आदिवासियों के कल्याण हेतु प्रतिवर्ष 25 लाख से 5 करोड़ रूपया की राशि दी जाती है;	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अर्हत्ताएँ पूर्ण न करने वाले एन0जी0ओ0 को काली सूची में डालने और दिये गये कार्यों की जाँच करते हुए आदिवासियों के कल्याणार्थ राशि के दुरूपयोग में लिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अनुशंसा पूर्व जिला से संबंधित उपायुक्त का जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्राप्त कर ही राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति में समीक्षोपरान्त अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जाती है। भारत सरकार द्वारा संस्थाओं का चयन स्थापित अर्हत्ताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/वि0 स0 प्र0 (अ0 सू0)–30–046/2012 2790 राँची, दिनांक–04/12/12/

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–**3483** दिनांक–**30.11.2012** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नसीम खान)
सरकार के उप सचिव।

D:\2012-13\Vidhansabha Prashan\Vidhan Sabha Format.doc

(74)

श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं० – 13 का प्रश्नोत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड स्थित धर्मपुर पंचयात अन्तर्गत जमालटांड ग्राम में अवैधानिक तौर पर आंगनबाड़ी केन्द्र एवं सेविका का चयन विभाग द्वारा किया गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जमालटांड, ग्राम धर्मपुर का एक टोला है। यहाँ की आबादी करीब 500 है। ग्राम धर्मपुर के कुछ भाग को मिलाकर आंगनबाड़ी केन्द्र जमालटांड का गठन किया गया है। विभाग से केन्द्र की स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ आंगनबाड़ी के द्वारा सेविका चयन किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र का गठन एवं सेविका का चयन वैधानिक तरीके से किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि धर्मपुर पंचायत में जमालटांड नामक कोई ग्राम नहीं है तथा इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमुआ ने भी आपने पत्रांक– 275 दिनांक– 03.09.2010 में यह स्पष्ट किया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। धर्मपुर पंचायत मे जमालटांड ग्राम धर्मपुर का एक टोला है। जमीन के खतियान में जमालटांड टोला का नाम है। जमालटांड के नाम से एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भी चलता है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, जमुआ का प्रतिवेदन प्राप्त है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अवैध आंगनबाड़ी केन्द्र एंव सेविका के चयन को रद्द करने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने को विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो	उत्तर अस्वीकारात्मक है। आंगनबाड़ी केन्द्र जमालटांड का गठन नियमपूर्वक किया गया है। दिनांक– 28.07.2010 को आमसभा आयोजित कर सेविका का चयन किया गया है। केन्द्र जमालटांड का गठन स्वीकृति एवं सेविका का चयन नियमपूर्वक किया गया है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अ0सु0 प्र0 – 357/2012– 1997 राँची, दिनांक :04.12.2012

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3425 वि०स० दिनांक – 29.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(कंचन अंजली मुण्डू)
सरकार के उप सचिव

75

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 34 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान–सभा क्षेत्र के बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० कार्डधारियों को विगत 02 (दो) वर्षों से खाद्य सामग्रियों के साथ–साथ किरासन तेल की आपूर्ति अनियमित ढंग से की जा रही है;	(1) – गिरिडीह जिला में बी०पी०एल० कार्डधारियों को नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ए०पी०एल० परिवारों को भी नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण करने का निदेश विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं। जिला में किरासन तेल का वितरण नियमित रूप से किया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के लोगों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से अनेक बार शिकायत के बावजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों में समय पर खाद्य सामग्री एवं किरासन तेल उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है;	(2) शिकायत प्राप्त होने की सूचना नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की जाँच कराकर संबंधित पदाधिकारी पर कर्रवाई करते हुये खण्ड (i) में वर्णित क्षेत्र में समय पर बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० कार्डधारियों को खाद्य सामग्री एवं किरासन तेल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(3) स्थिति उक्त उतर 1 में स्पष्ट की गई है।

ज्ञापांक :– प्र0–1/वि0स0/95/2012 3751 /राँची, दिनांक 4.12.2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 3474, वि0स0, दिनांक 30.11.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/2012

सरकार के उप सचिव।

D:\Drive - F\vikash kumar 2012-13\Bidhan Sabha 2012-13\New Microsoft Word Document.doc55

76

श्री अमित कुमार यादव, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 12 के संबंध में।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, हजारीबाग , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकटठा, ईचाक तथा कोडरमा जिलान्र्तगत सदर अस्पताल, कोडरमा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयनगर में एंटी रेविज बैक्सीन उपलब्ध नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। सम्प्रति इन अस्पतालों / स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी रेविज बैक्सीन उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी रेविज बैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण हजारो गरीब मरीजों का ईलाज नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। संबंधित अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों का ईलाज हो रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक लोकहित में उपर्युक्त केन्द्रों में अविलम्ब एंटी रेविज बैक्सीन दवा उपलब्ध कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक: 7 /बजट–(वि0 स0)–06/2012 305(7) /स्वा0,रॉंची,दिनांक– 05/12/2012

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 3352 दिनांक 28.11.2012 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/12/12

सरकार के संयुक्त सचिव

77

दिनांक– 06.12.2012

श्री राम दास सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–35 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राम दास सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता तथा कल्याण (आदिवासी कल्याण रहित) विभाग, झारखण्ड, राँची

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखण्ड के मुसाबनी माईन्स कर्मचारी सहयोग शाखा समिति लिमिटेड का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2011–12 तक का बकाया कुल– 1,82,330.88 रूपये राज्य सरकार को देय है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(I) में वर्णित समिति का फेडरेशन लेवी वर्ष 2011–12 तक का बकाया कुल– 3,41,269.00 रू0 झारखण्ड राज्य सहकारिता संघ को देय है;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011–12 का अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार खण्ड–(I) एवं (II) का बकाया जमा नहीं होने से सरकार को करोड़ों रूपयों के राजस्व की हानि हो रही है;	अस्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(I) में वर्णित समिति के पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– विधान मण्डलीय–05–37/2012सह0 3343 /राँची, दिनांक– 05/12/2012

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या प्र0 3487 दिनांक 30.11.2012 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिलीप कुमार झा)
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha

(78)

श्री साईमन मराडी, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.2012
को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–21 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री साईमन मराडी, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री हेमलाल मुर्मू मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड जिला में भव्य स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों का निर्माण हुआ है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह सही बात है कि इन केन्द्रों पर दवाओं एवं डॉक्टरों का धोर अभाव है, जिसके कारण जिले के रोगियों को जिले से बाहर अन्य चिकित्सालयों में अपना इलाज कराने जाना पड़ता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पाकुड़ जिला में अस्पतालों में दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एवं चालु वित्तिय वर्ष में दवा क्रय हेतु आवंटन जारी किया गया है। पाकुड़ जिला में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 47 है जिसके विरूद्ध 36 चिकित्सक पदस्थापित है। इसमें से 12 लोग अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा एक निलंबित है। 11 पद रिक्त है। चिकित्सक की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या क्या सरकार इन केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं दवाओं की उपलब्धता राने की विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/3 वि०स०–03–48/12 675(3) राँची, दिनांक– 5/12/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 3478 दिनांक 30.11.12 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०
5/12

सरकार के उप सचिव

79

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.12 को झारखंड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-31 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क. सं.	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर कृषि उत्पादन बाजार समिति को कृषि उपज बाजार (संशोधन विधेयक 2007) की अधिसूचित कॉपी-2010 के अक्टूबर माह में प्राप्त हुआ है?	अस्वीकारात्मक है। झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम (संशोधित) विधयक, 2007 की प्रति झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के पत्रांक 1687 दिनांक 10.10.09 के माध्यम से सभी पणन सचिवों को निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में बाजार समिति, देवघर ने अपने ज्ञापांक 1396 दिनांक 19.10.09 के द्वारा 2 प्रतिशत की दर से बाजार शुल्क जमा करने हेतु सूचना निर्गत किया है।
2	क्या यह बात सही है कि इसके पूर्व वहाँ के व्यवसायियों एवं व्यापारियों द्वारा 1 प्रतिशत की दर से बाजार शुल्क नियमित रूप से अदायगी की जा रही थी?	स्वीकारात्मक है। झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम (संशोधित) विधयक, 2007 की अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि 06.12.08 से 2 प्रतिशत की दर से बाजार शुल्क देय है।
	यह बात सही है कि दि0-16.12.08 से 31.03.10 तक के पूर्व का अतिरिक्त 1 प्रतिशत बाजार शुल्क माँग रखना स्थानीय व्यापारियों के लिए अतिरिक्त बोझ नहीं है?	अस्वीकारात्मक है। बाजार शुल्क 2 प्रतिशत राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि 06.12.08 से देय है। यह शुल्क नियमानुसार है।
3	अगर अतिरिक्त 1 प्रतिशत बाजार शुल्क नहीं लेने पर पुनर्विचार करना चाहेगी? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के विधि परामर्शी द्वारा Bihar & Orissa General Clause Act 1917 की धारा 6 (1) (a) (ii) के आलोक में दिए गए परामर्श के अनुसार अधिसूचना राजकीय गजट में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशन होने की तिथि दिनांक 06.12.08 से 2 प्रतिशत की दर से बाजार शुल्क देय है।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक :5/कृ0वि0सभा-30/2012....... 3504 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 3481वि0स0 दिनांक-30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :5/कृ0वि0सभा-30/2012....... 3504 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखंड, रांची/विभागीय माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

80

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला
<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–19 की उत्तर सामग्री</u>

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनुघाट से सप्लाई न मिलने से गम्हरिया ग्रीड एवं गोलमुरी ग्रीड में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है ;	स्वीकारात्मक है। तेनुघाट की दोनों यूनिट चलने पर गम्हरिया ग्रीड एवं गोलमुरी ग्रीड में बिजली आपूर्ति आवश्यकतानुसार की जाती है। तेनुघाट की यूनिट बन्द होने पर विद्युत की उपलब्धता में कमी आ जाती है, जिसके कारण झारखण्ड राज्य के सभी ग्रीड को उपलब्ध विद्युत के आधार पर विद्युत आपूर्ति मुहैया कराई जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि गम्हरिया ग्रीड को 90 से 100 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि विद्युत आपूर्ति मात्र 40 से 50 मेगावाट ही की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। बोर्ड द्वारा गम्हरिया ग्रीड को 90 मेगावाट तक (आवश्यकतानुसार) विद्युत आपूर्ति की जाती है। कभी–कभी विद्युत की उपलब्धता में कमी होने पर गम्हरिया ग्रीड को Grid Discipline maintain करने हेतु Restricted विद्युत आपूर्ति की जाती है।
3. उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गम्हरिया ग्रीड को आवश्यकतानुसार सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गम्हरिया ग्रीड को सुचारू रूप से विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। जब बिजली की कमी होती है तो तद्नुकूल गम्हरिया ग्रीड में भी आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है।

झारखण्ड सरकार,
<u>ऊर्जा विभाग</u>

ज्ञापांक 3216 /   दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

(81)

माननीय स०वि०स०, श्री विदेश सिंह द्वारा दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी प्रखंड में चाको नदी तथा सोनरे नदी और लेस्लीगंज प्रखंड में पीरी नदी में नहर से पानी का रिसाव हो रहा है एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जिससे स्थानीय किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मति का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त योजनाओं के नहरों की पुनर्स्थापन कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–45/2012– 3941 **राँची, दिनांक** 05.12.2012

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक– 3482 दिनांक 30.11.2012 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी– 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 05/12/12

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(82)

श्री साईमन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–22 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री साईमन मराण्डी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिले के गोपीकान्दर प्रखण्ड के खरौनी बजार पंचायत का कारूडीह ग्राम आदिवासी बाहुल्य ग्राम है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में बिजली आपूर्ति हेतु खराब ट्रान्सफरमर 2008 में लगा दिया गया है;	कारूडीह ग्राम का विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत् एन०टी०पी०सी० द्वारा वर्ष 2009–10 में किया गया है। उक्त ग्राम में दो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसमें से एक जल गया है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में आज तक बिजली आपूर्ति नहीं की गई ;	अस्वीकारात्मक। उक्त ग्राम में विद्युतीकरण हेतु दो ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसमें एक जल गया है तथा दूसरा कार्यरत है, जिससे आंशिक विद्युत आपूर्ति हो रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिवासी के हितों की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत् विद्युतीकृत गॉवों में चूँकि बी0पी0एल0 परिवारों की लोड आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसफार्मर लगाये गये एवं गॉव की कुल आबादी एवं आवश्यक लोड के अनुरूप उचित क्षमता वाले ट्रांसफार्मर न लगने के कारणवश काफी बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर जलने की घटनायें हो रही है। अतएव इस पृष्ठभूमि में सभी गॉवों का वर्तमान एवं अगले पॉच वर्षो तक बढ़ने वाले लोड एवं उसके अनुरूप ट्रांसफार्मर एवं अन्य संरचनाओं का आकलन करने के लिए प्रत्येक एरिया बोर्ड हेतु एक–एक परामर्शी नियुक्त करने की प्रकिया अंतिम चरण में है। उक्त परामर्शियों द्वारा अगले 4 से 6 माह में डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई की जायगी, जिसके आधार पर सम्पूर्ण राज्य में व्यापक रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यो को पुनः सम्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी। उक्त परिस्थिति में किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई का औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3208 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

(83)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीया स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवारों को 18.92 लाख विद्युत संयोजन दिये जानेवाले लक्ष्य के विरूद्ध मार्च, 2011 तक मात्र 11.44 लाख विद्युत संयोजन प्रदान किया गया, जबकि इसमें भी मात्र 6.31 लाख विद्युत संयोजन को ही ऊर्जान्वित किया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् लक्षित कुल 1604904 अदद् बी०पी०एल० परिवार को विद्युत संबंध दिये जाने है, जिनमें कुल 1287849 अदद् विद्युत संबंध दिये गये हैं एवं 959620 अदद् ऊर्जान्वित किया जा चुका है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लक्षित सभी बी०पी०एल० परिवारों को विद्युत संयोजन देने एवं ऊर्जान्वित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आर०ई०सी० द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति दिसम्बर 2012 तक मिल चुकी है। दिसम्बर 2012 तक शेष बचे हुए कार्य को कर लेने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3222 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 05/12/12
सरकार के अवर सचिव

84

श्री दूलू महतो, माननीय सदस्य, झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.12 को झारखंड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-30 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आत्मा (ATMA) के तहत् पूरे राज्य में लगभग 17000 एवं धनबाद जिले में 569 कृषक मित्र कार्य कर रहे हैं?	आत्मा कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में 14524 एवं धनबाद जिले में 456 कृषक मित्र कार्य कर रहे हैं।
2	क्या यह बात सही है कि इन कृषक मित्रों द्वारा कृषि संबंधित सभी कार्य का निष्पादन कराया जाता है, जो एक जनसेवक के समकक्ष है?	कृषक मित्रों से आत्मा से संबंधित कार्य के निष्पादन में सहयोग ली जाती है, परन्तु यह सही नहीं है कि कृषक मित्र को जनसेवक के समकक्ष घोषित किया गया है। जनसेवक का पद सरकार द्वारा स्वीकृत है, जबकि कृषक मित्र के रुप में स्वेच्छा से इच्छुक कृषकों को चयनित किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि कृषक मित्रों को इनके कार्य के एवज कोई भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि समकक्ष श्रेणी में कृषक सलाहकार पद हेतु बिहार सरकार द्वारा 5200/- रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है?	झारखंड राज्य में भारत सरकार के आत्मा मार्गदर्शिका के अनुसार कृषक मित्रों को रू0 4000/- वार्षिक दिया जाता है। यह राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में 50:50 के अनुपात में दी जाती है। यह राशि स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक चयनित कृषक मित्रों को प्रखण्ड की बैठकों हेतु यात्रा, व्ययत्र कागज, कलम, थैला इत्यादि का कय/व्यय हेतु दिया जाता है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में कार्यरत कृषक मित्रों का मासिक मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	केन्द्र सरकार यदि इस राशि में वृद्धि करेगी तब ही राज्य सरकार के स्तर से इस राशि में वृद्धि करना संभव हो सकेगा।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक :5/कृ0वि0सभा-31/2012....... 3503 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 3480वि0स0 दिनांक-30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)

निदेशक (प्रशासन) कृषि-

सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :5/कृ0वि0सभा-31/2012....... 3503 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखंड, रांची/विभागीय माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)

निदेशक (प्रशासन) कृषि-

सह-संयुक्त सचिव

85

श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सु०–14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड के सासें, चितरो, कुरहा, विशुनपुर, धोसे ग्राम एवं जसुआ प्रखण्ड के नावाडीह ग्राम का ट्रांसफार्मर लगभग छः माह से जला हुआ है, जिसके कारण उस क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित ग्रामों में इसी वित्तीय वर्ष में नया ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वर्णितं ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् किया गया और इसके जले ट्रांसफार्मर बदलने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने हेतु परामर्शी की नियुक्ति की जा चुकी है। परामर्शी द्वारा चार (04) माह के अन्दर डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उसके उपरान्त जले ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3214 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

(86)

माननीया श्री॰ी अन्नपूर्णा देवी, स0 वि0 स0 द्वारा शीतकालीन सत्र 2012 में दिनांक–06.06.2012 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक खरीफ फसल के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किये गये सिंचाई लक्ष्य 7 लाख 82 हजार हेक्टेयर भूमि के विरूद्ध 3 लाख 59 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई नहीं हो पाने के फलस्वरूप सरकार को 6 करोड़ 21 लाख रूपये के सिंचाई राजस्व की हानि हुई ;	आंशिक स्वीकारात्मक वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक का खरीफ सिंचाई 10 लाख 67 हजार हे० लक्ष्य के विरूद्ध 5 लाख 49 हजार 165 हे० सिंचाई उपलब्धि प्राप्त की गई है। क्योंकि सभी योजनाएँ काफी पुरानी है, फलस्वरूप 100% उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सिंचाई लक्ष्य पीछे रहने के कारण तथा राजस्व हानि के लिये जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ;	झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुल 104 सिंचाई योजनाएँ पूर्व से निर्मित है, जिसमें 48 जलाशय योजनाएँ एवं 56 वीयर योजनाएँ है। योजनाएँ काफी पुरानी होने के कारण इनके वितरण प्रणाली के सिंचाई क्षमता में निरंतर ह्रास होता है, फलस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 6/ज0स0वि0–10–43/2012:– 3947 **राँची, दिनांक–** 5.12.12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3381/वि0स0, राँची, दिनांक–28.11.12 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 05/12

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Node-4\TA\Vidhan Sabha 2012\30-12-2012\Anpurna Devi.doc

श्री बन्धू तिर्की, माननीय सदस्य, झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.12 को झारखंड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-1 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्रमांक	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर के किसानों को KCC उपलब्ध कराने का उद्देश्य से तय किए गए 18.96 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1.07 लाख KCC जारी किए जा सके?	सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित लक्ष्य 18.48 लाख के विरुद्ध अब तक 338486 (तीन लाख अड़तीस हजार चार सौ छियासी) KCC बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि निर्धारित 18.97 आँकड़े के विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र 616493 किसानों के आवेदन ही बैंक को सूपूर्द किए जा सके।	किसान क्रेडिट कार्ड हेतु विभाग द्वारा बैंको को सहयोग प्रदान करते हुए प्रत्येक जिला हेतु किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2012-13 में बैंको को 18.48 लाख के विरुद्ध छः लाख अन्नासी हजार छः सौ अन्ठावन किसानों के आवेदन बैंको को जिला स्तर से सुपुर्द किये गए हैं। बैंको से बार-बार आग्रह के पश्चात् भी उपलब्ध कराये गये आवेदनों के निष्पादन नहीं किये जाने के कारण से नये आवेदनों के संकलन की गति धीमी रही है। यदि बैंको के द्वारा ससमय आवेदनों का निष्पादन किया जाता है तो शेष आवेदनों को बैंक भेजने की गति में तीव्रता आयेगी।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप किसानों के आवेदन बैंकों में न जमा करने में दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2012-13 में अभी चार माह अवशेष है। बैंको के द्वारा यदि KCC वितरण में तेजी लायी जाती हे तो आवेदन सृजन में भी तेजी आएगी तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त अथवा उसके नजदीक पहुँचा जा सकता है ऐसी स्थिति में किसी पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक :1/कृ0राज0वि0सभा-90/2012......3487 रांची, दिनांक : 03-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 3281वि0स0 दिनांक-26.11.2012 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :1/कृ0राज0वि0सभा-90/2012...... 3487 रांची, दिनांक : 03-12-12

श्री मिस्त्री सोरेन, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–23 दिनांक–6.12.12 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

श्री चम्पाई सोरेन, मंत्री, आदिवासी कल्याण विभाग।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के प्रखण्ड–पाकुड़िया के +2 उच्च विद्यालय, पाकुड़िया एवं प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, पाकुड़िया में संबंधित एक भी कल्याण छात्रावास नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों विद्यालयों में छात्रावास नहीं होने के कारण सुदूरवर्ती छात्रों को कठिनाईयों का सामना विद्यालय आने–जाने में करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु पाकुड़िया प्रखण्ड के ग्राम–तलवा, ग्राम–चुनपाड़ा आदि गाँवों में सरकारी जमीन उपलब्ध रहते हुए भी अधिग्रहण नहीं किया जा सका है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के संबंधित विद्यालयों में आदिवासी छात्रावास का निर्माण कराने के विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	छात्रावास निर्माण हेतु जिलों से विधिवत् भूमि उपलब्धता के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आवश्यकता का ऑकलन करते हुए नियमानुसार विचार किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/अ0 सू0 प्र0–101/2012 -2805 रॉंची, दिनांक–05/12/12

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–**3484** दिनांक–**30.11.2012** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/12

(नसीम खान)
सरकार के उप सचिव।

(89)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चांडिल अनुमंडल में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत नीमडीह प्रखंड के आदरडीह एवं ईचागढ़ प्रखंडान्तर्गत रूगड़ी में विद्युत सब–स्टेशन लगाने की योजना है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत सब स्टेशन नहीं लगने से नीमडीह एवं ईचागढ़ प्रखंड के अधिकांशतः ग्रामों में विद्युत आपूर्ति अनियमित है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त योजना को पूर्ण कर नीमडीह एंव ईचागढ़ प्रखंडों में विद्युत सब–स्टेशन लगाने का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उक्त दोनों गाँव नीमडीह प्रखण्ड के आदरडीह एवं ईचागढ़ प्रखण्डान्तर्गत रूगड़ी में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण होना है। आर०ई०सी० द्वारा राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का समय विस्तार दिसम्बर 2012 तक की स्वीकृति मिल चुकी है। दिसम्बर 2012 तक शेष बचे हुए कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3209 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 04/12/12
सरकार के अवर सचिव

(90)

श्री समरेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला
<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–26 की उत्तर सामग्री</u>

प्रश्नकर्त्ता श्री समरेश सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी प्रखंड के 36 एवं चास प्रखंड के 9 गाँवों के विद्युतीकरण हेतु अगस्त, 2011 में राइट्स (आरआईजी एचटीएल) द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तगत कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दोनों प्रखंडों के 45 गाँवों में से एक साल बाद भी झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक भी गाँव का विद्युतीकरण नहीं किये गये हैं ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन गाँवों के विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राईट्स द्वारा छोड़े गये बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी प्रखण्ड के 39 एवं चास प्रखण्ड के 12 ग्रामों का निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है, इसे विभागीय स्तर पर करना है। विद्युतीकरण कार्य का लक्ष्य जिलावार निर्धारित किया गया है एवं मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
<u>ऊर्जा विभाग</u>

ज्ञापांक 3207 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

91

श्री निर्भय कुमार शाहबादी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.12.12 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 36 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री निर्भय कुमार शाहबादी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड निर्माण के पश्चात् अब तक पारा मेडिकल कर्मियों (ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्स को छोड़कर) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली अब तक नहीं बनायी गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। फार्मासिस्ट एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकी की नियुक्ति,/प्रोन्नति नियमावली पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। विधि विभाग की सहमति के उपरांत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि उरोक्त नियमावली के अभाव में पिछले 8 वर्षो से कार्य कर रहे अनुबंध (गैर योजना मद) पारा चिकित्सा कर्मियों का नियमितिकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है;	नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली गठन की कार्रवाई जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। विभाग द्वारा नियमावली तैयार कर विभागीय मंत्री से अनुमोदनोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग से सहमति के उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाती है जिसमें समय लगना स्वभाविक है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में 2005 से कार्य कर रहे अनुबंधित चिकित्सकों का नियमितिकरण कर दिया गया है;	अनुबंधित चिकित्सकों का नियमितिकरण अद्यतन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जा सका है। क्योकि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट सं0 डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6463/2012 द्वारा तत्काल स्थगन आदेश पारित किया गया है। उच्च न्यायालय के पुनः आदेशोपरांत नियमितिकरण की कार्रवाई आयोग द्वारा की जा सकेगी।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पारा चिकित्सा कर्मियों का नियमितिकरण करने का प्रावधान करते हुए अनुबंधित चिकित्सकों की तरह नियमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का नियमितिकरण उनकी मूल नियमावली बनने के बाद किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–10/क्यू0–01–08/12 259 (10) दिनांक:– 5/12/12

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 3492 दिनांक 01.12.12 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

5/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं0--अ0सू0–16 दिनांक–6.12.12 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अंतर्गत प्रखण्ड सिमरिया के राजकीय अनुसूचित बालिका उच्च विद्यालय का उत्क्रमण 2007 में किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन नहीं होने से छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु–स्थिति यह है कि वर्ष 2007 से बालिका उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमण किया गया है। कुल 200 बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के लिए भवन निर्माण कार्य 2008 से अधूरा पड़ा है तथा निर्माण में उपयोग की गई सामग्री बहुत ही घटिया किस्म की है;	विद्यालय भवन का निर्माण कार्य भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा कराया जा रहा है। निर्माणाधीन भवनों का उच्च स्तरीय जाँच कराने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भवन निर्माण के कार्य की जाँच कराकर पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक–2/वि0 स0–110/2012 -2786 रॉंची, दिनांक–04/12/12

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–**3426** दिनांक–**29.11.2012** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नसीम खान)
सरकार के उप सचिव।

D:\2012-13\Vidhansabha Prashan\Vidhan Sabha Format.doc

93

श्री कमल किशोर भगत, माननीय सदस्य, झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.12.12 को झारखंड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-17 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

कमांक	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिलान्तर्गत कुडू एवं कैरो प्रखण्ड में सर्वाधिक रबी एवं खरीफ फसलों का उत्पादन होता है?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वृहद शीत गृह के अभाव में कृषि उपज सड़ जाती है तथा कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुडू प्रखण्ड में किसानों के हित में वृहद शीत गृह की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सरकार के स्तर से शीत गृह का निर्माण नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड के द्वारा कृषक समूहों एवं उद्यमियों को शीत गृह निर्माण पर जनजातिय एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिये अधिकतम 55 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक :1/कृ0वि0सभा-29/2012....... 3505 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 3427वि0स0 दिनांक-29.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :1/कृ0वि0सभा-29/2012....... 3505 रांची, दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखंड, रांची/विभागीय माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12

(सुलसे बखला)
निदेशक (प्रशासन) कृषि-
सह-संयुक्त सचिव

94

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती कुन्ती देवी, माननीया स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झरिया क्षेत्र स्थित भागा में सब विद्युत स्टेशन निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से लम्बित है, क्योंकि इस कार्य के लिए अनुबंधित मेसर्स ओमेक इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि भागा में सब स्टेशन के निर्माण होने से पूरे झरिया क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेसर्स ओमेक इंजिनियरिंग वर्क्स को काली सूची में डालने एवं भागा में सब स्टेशन निर्माण का कार्य यथाशीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	मेसर्स ओमेक इंजीनियरिंग को ए०पी०डी०आर०पी० योजना के तहत् कार्यादेश संख्या–21 एवं 22 दिनांक–09.01.2009 द्वारा झरिया शहर के भागा स्थित विद्युत शक्ति उप केन्द्र का निर्माण कार्य टर्न–की व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित था। कार्यादेश आवटन में अनियमितता की सूचना प्राप्त होने के उपरांत बोर्ड के संकल्प संख्या–591 दिनांक–09.03.2010 द्वारा ए०पी०डी०आर०पी० योजना के अन्तर्गत सभी संवेदकों का भुगतान बंद है। इसके अतिरिक्त ए०पी०डी०आर०पी० योजना के कार्यों में गड़बड़ी के संबंध में झारखण्ड निगरानी ब्यूरो, राँची द्वारा जाँच की जा रही है। भुगतान के अभाव में संवेदक द्वारा कार्य करना बंद कर दिया गया है। किसी भी संवेदक को उसी परिस्थिति में काली सूची में डाला जा सकता है, जब उसके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप या कार्य के प्रति अनियमितता का आरोप प्रमाणित होता हो।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3213 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियां के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

95

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 05 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री संजय कुमार सिंह यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में अनाज भण्डारण के लिए गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया है फलस्वरूप अनाज के रख रखाव में काफी परेशानी होती है।	(1) एवं (2) पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में विभाग द्वारा 250 (दो सौ पचास) टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कराया गया है, जिसमें खाद्यान्न का भण्डारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1000 (एक हजार) टन क्षमता के गोदाम का निर्माण अंतिम चरण में है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में गोदाम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

ज्ञापांक :– प्र0–1 / वि0स0 / 93 / 2012 3744 / राँची, दिनांक 4-12-2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 3382, वि0स0, दिनांक 28.11.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

सरकार के उप सचिव।

D:\Drive - F\vikash kumar 2012-13\Bidhan Sabha 2012-13\New Microsoft Word Document.doc33

96

माननीय विधायक श्री विदेश सिंह द्वारा दिनांक 06.12.12 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0–32 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत तरहसी प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अत्यंत जर्जर है;		स्वीकारात्मक है । सिविल सर्जन, पलामू के प्रतिवेदनानुसार तरहसी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत् है । उक्त अस्पताल के पुराने भवन जर्जर है । उक्त स्थान पर नए भवन (3 बड़ा कमरा एवं 2 छोटा कमरा) का निर्माण कार्य चल रहा है । इसके अतिरिक्त पलामू जिलान्तर्गत तरहसी प्रखण्ड के ग्राम पाठक पगार में एन0आर0एच0एम0 द्वारा नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है, जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है । उक्त भवन का फिनिसिंग कार्य जारी है । विगत विधान सभा सत्र में दि0– 06.09.12 में माननीय विधायक द्वारा इस आशय का तारांकित प्रश्न सं0– 03 प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर सामग्री विभागीय पत्रांक– 570(5), दि0– 05.09.12 द्वारा विधान सभा को प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न) ।
2. क्या यह बात सही है कि भवन के जर्जर रहने के कारण ग्रामीण मरीजों के उपचार में कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्त्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं चिकित्सक आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका '1' एवं '2' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0वि0स0 (अ0सू0)– 137/12– 766(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 5.12.12

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3477/वि0स0, दिनांक 30.11.12 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/12

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(97)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं0–24 दिनांक–6.12.12 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, आदिवासी कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी धर्म स्थल सरना की घेराबंदी (चहारदिवारी) करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक। उक्त स्थानों का सरना निर्माण हेतु प्रस्ताव जिले से प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत चिनियां प्रखण्ड के ग्राम बन्दुवॉं एवं बरवाडीह सरना स्थल में चहारदिवारी निर्माण का प्राक्कलन बनाकर जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक–129 दिनांक–11.02.2012 द्वारा स्वीकृति हेतु आयुक्त कल्याण, राँची को भेजा गया है;	वस्तु–स्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में सरना की घेराबंदी हेतु राशि OSP क्षेत्र के लिये 100.00 लाख बजट उपबंध था, जिसके अनुसार प्राप्त प्रस्ताव में से जिलावार योजना की स्वीकृति दी गई है। गढ़वा जिला के प्रखण्ड रंका ग्राम–बाहाहारा में जाहेरस्थान की घेराबंदी हेतु योजना की स्वीकृत की गई है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार उक्त सरना स्थल की चहारदिवारी का निर्माण अविलम्ब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	शेष प्रस्तावों पर उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार एवं नियम अनुसार विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–2/वि0 स0–91/2012 2796 राँची, दिनांक–04/12/12

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–**3485** दिनांक–**30.11.2012** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/12

(नसीम खान)
सरकार के उप सचिव।

D:\2012-13\Vidhansabha Prashan\Vidhan Sabha Format.doc

(98)

उत्तर की तिथिः–06.12.2012

श्री संजय प्रसाद यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–29 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री संजय प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता तथा कल्याण (आदिवासी कल्याण रहित) विभाग, झारखण्ड, रॉची**

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में पूर्व से अवस्थित कोल्ड स्टोरेज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा उसका अतिक्रमण भी कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। कोल्ड स्टोरेज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसका अतिक्रमण स्थानीय लोगों द्वारा कर लिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में अन्य कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण यहां का किसानों को अनाज आदि भण्डारण में घोर परेशानी होती है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त बातों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कोल्ड स्टोरेज का जीर्णोद्धार अथवा नवनिर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोल्ड स्टोरेज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसकी सभी मशीन जंग एवं पुराने रहने के कारण बिलकुल ही नष्ट के कगार पर है तथा मरम्मत लायक नहीं है। तकनीकी दल से जाँच के उपरांत उचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– विधान मण्डलीय–5–39/12 सह0 3359 **/राँची, दिनांक–** 05/12/2012

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञाप संख्या 3475 दिनांक 30.11.2012 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिलीप कुमार झा)
सरकार के उप सचिव।

Sumant murmu/Vidhan Sabha

श्री विष्णु प्रसाद भैया, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक – 06.12.2012 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 9 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मिहिजाम में दूध फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना अब तक नहीं की जा सकी है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्लांट की स्थापना नहीं होने से दुग्ध उत्पादकों को सीमावर्ती राज्य में उत्पाद बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है।	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में जामताड़ा जिला अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध की बिक्री अच्छे दर पर स्थानीय बाजारों में की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मिहिजाम में दूध फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मिहिजाम में दूध की उपलब्धता का सर्वेक्षण करा कर संभाव्यता के आधार पर दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

4/12/12

सरकार के उप सचिव

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–08 की उत्तर सामग्री

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता
श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता
प्रभारी मंत्री</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विभाजन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर निगम द्वारा किया गया है ;</td><td>ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग द्वारा छोटे–छोटे बाजारों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी दर से बिजली बिल लिया जाता है ;</td><td>नियामक आयोग ने बाजारों अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शहरी दर के हिसाब से बिजली विपत्र निर्गत करने हेतु आदेश दिए है। इस संबंध में उनके द्वारा निर्धारित परिभाषा निम्नवत है:–
Non Domestic service (NDS)-I, Rural; For Rural Areas not covered by area indiented for NDS-II and for connected load upto 2 K.W. Non Domestic Service Municipality/Municipal Corporation/All District Town/ All Sub-divisional Town/ All Block Hqrs./ Industrial Area & contiguour Sub-urban area, market place rural or urban & connected load upto 85.044 KW (100KVA), except for categories covered uder NDS-III. This schedule shall also apply to commercial consumer of rural area having connected load above 2 KW.</td></tr>
<tr><td>3. क्या यह बात भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी दर से बिजली बिल लिए जाने से ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड रहा है;</td><td>चुँकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की दरें माननीय नियामक आयोग द्वारा अलग–अलग तय की जाती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों की दरें शहरी क्षेत्रों से कम है, अतएव ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पडता है। उदाहरण स्वरूप :–
<table>
<tr><th>Category</th><th>Fixed Charge</th><th>Energy Charge</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण घरेलु दर</td><td>Rs. 15/Connection</td><td>Rs. 1.20/Unit</td></tr>
<tr><td>शहरी घरेलु दर</td><td>Rs.40-100/ Connection</td><td>Rs. 2.40-3.00/ Unit</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बिजली विभाग द्वारा तय मानको में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों में लिए जा रहे शहरी दर की जगह ग्रामीण दर से बिजली बिल लेने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>दर नियामक आयोग निर्धारित करती है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3231/ दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

101

माननीय विधायक श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 06.12.12 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 अ0सू0-28 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
ा मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार ल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :—	
क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास ाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना ख्या— 5819, दि0— 08.08.2009 के द्वारा ड्डा जिलान्तर्गत पथरगामा प्रखण्ड को ाजित कर बसन्तराय को प्रखण्ड का दर्जा ा गया है और बसन्तराय प्रखण्ड का धिवत् उद्‌घाटन दि0— 23.09.2009 को कालीन आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, का श्री ए0के0 पाण्डेय द्वारा सम्पन्न हुआ है;	स्वीकारात्मक है ।
क्या यह बात सही है कि बसन्तराय में छः यावाली एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य द्र है जिसका भवन जीर्ण–शीर्ण है तथा कित्सीय उपकरण एवं स्टाफ का घोर अभाव	आंशिक स्वीकारात्मक है । बसन्तराय प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित है । सिविल सर्जन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भवन जर्जर होने की तकनीकी जाँच हेतु कार्यपालक अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को निदेशित किया गया है । उक्त संस्थान में स्वीकृत बल के विरुद्ध चिकित्सक एवं कर्मचारी पदस्थापित हैं । अस्पताल में चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध है ।
क्या यह बात सही है कि बसन्तराय प्रखण्ड चिकित्सा सुविधा हेतु यही एकमात्र अतिरिक्त ामिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो क्षेत्र की सम्पूर्ण ता के ईलाज हेतु अपर्याप्त हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक है । बसन्तराय प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत् है जहाँ ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है ।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक तो क्या सरकार सभी सुविधाओं से युक्त तिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित रेफरल अस्पताल में परिवर्त्तित करना चाहती हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	आई0पी0एच0एस0 के मानक के अनुसार अब रेफरल अस्पताल का निर्माण नहीं किया जाना है । मानक के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र के 1,20,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जाना है । सिविल सर्जन से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बसन्तराय प्रखण्ड की आबादी 93,325 है । अतः मानक के आधार पर बसन्तराय प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण संभव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0वि0स0 (अ0सू0)– 136/12– 765(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 5.12.12

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3479/वि0स0, दिनांक 30.11.12 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/12

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

182

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.12.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–18 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स०**	**उत्तरदाता** **प्रभारी मंत्री**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय एवं सुदूर देहात क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आम जनता एवं किसानों को काफी परेशानी हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित स्थिति बरवाडीह में विद्युत फीडर नहीं होने कारण हो रही है ;	बरवडीह में अतिरिक्त विद्युत फीडर की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह में विद्युत फीडर का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्युत के उपलब्धता की कमी के कारण बरवाडीह में विद्युत की आपूर्ति कम हो पा रही है। डाल्टेनगंज में ग्रीड के चालू होने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार हो जायगी। बेतला में एक मानव रहित विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के बाद बेतला, कुटमू, छीपादोहर आदि क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता सामान्य हो पाएगी। बरवाडीह में नवम्बर 2012 में एक 05 एम०भी०ए० का पावर ट्रान्सफार्मर बैठाया जा चुका है।
	अतएव बरवाडीह में अलग से फीडर निकालने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3235 / दिनांक 05-12-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12
सरकार के अवर सचिव